महारानी अहिल्याबाइ स्मृति संरक्षण समिति, वाराणसी

प्रेस विज्ञप्ति,

आज दिनांक 19/04/2019 को महारानी अहिल्याबाइ स्मृति संरक्षण समिति के तत्वावधान में अहिल्याबाइ स्थित कोठी पर 1:00 बजे एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसमें श्रुति नागवन्शि, पार्वती देवी, अमला सिंह, विभा मिश्रा ने सम्बोधित किया |

काशी का यह प्रसिद्ध अहिल्याबाई घाट एवं महल होल्कर राज्य की महारानी की तपस्यास्थलि है, इसी भूमि पर प्रातः स्मरणीया माँ अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना का संकल्प लिया और उसे अपने जीवन में पूर्ण कर दिया | भवन संख्या डी -18/16 ऐतिहासिक, धार्मिक एवं वास्तु कि दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमे माँ गंगा की अति दुर्लभ प्राचीन मूर्ति स्थापित है | यह भवन प्राचीन धरोहर, पुरातत्व्यीय स्थान तथा अवशेष अधिनियम 24 सन 1958 से संरक्षित है | अब जबकी काशी के धरोहर की सुरक्षा का युगान्तकारी कार्य प्रारम्भ है तथा काशी विश्वनाथ की संरक्षा में सरकार करोड़ो रुपये खर्च कर रही है, ऐसी स्थिति में उन्ही महारानी द्वारा बनायी कोठी एवं अन्य मंदिरो की अनदेखी कर देना भूमाफ़ियाओ को खुली छूट देना शासन के लिये प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता है |

काशी के हृदयस्थल पर स्थित धार्मिक परम्परा का प्रतीक एवं वास्तु कि दृष्टि से महत्वपूर्ण इस भवन में होल्कर राज्य के, भारत सरकार में विलय से पूर्व के वैधानिक अध्यासी, सेवक, भक्त, अनुयायी किरायेदार रहते हैं तथा ट्रस्ट बन जाने के बाद भी किराया अदा करते आ रहे हैं | वर्तमान समय में डी -18/16 एवं अन्य भवनों को मौखिक खरीद के नाम पर उसमे आबाद गरीब असहाय काशी भक्त लोगों को निकालने हेतु कतिपय भूमाफ़िया द्वारा संपत्ति की सुरक्षा के लिए गठित ट्रस्टियों एवं अधिकारियों के साथ मिल कर विशाल उर्फ़ मोनू खन्ना, रमेश उपाध्याय ,नीरज झा, रघु कालरा इत्यादि लोगों के माध्यम से येन केन प्रकारेण भवन की व्यवस्था को समाप्त करके गंगा तट के पवित्र भूमि पर स्थित इस महल को आधुनिक होटल का स्वरूप दे कर आमिष भोजनालय एवं आमोद प्रमोद का साधन बनाना चाहते हैं | ऐसे धन लोलुप व्यक्ति काशी की संस्कृति को नष्ट कर के धन कमाने के उद्देश्य से महारानी के महल तथा अन्य भवनों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं |

वर्तमान समय में उनको प्रतिबंधित करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि माननीय लघुवाद जज वाराणसी के न्यायालय में लम्बित मुकदमे में उल्लेखनीय सफ़लता न मिलने के कारण सुनियोजित ढन्ग से किरायेदारो को डरा धमका कर एवं फ़र्जी मुकदमे में फ़सा कर प्रताड़ित कर के भवन को हड़पने एवं कब्जा करने का उपक्रम चल रहा है | यहाँ की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है | महिलाओं एवं बच्चों को रास्ते में घेर कर विशाल खन्ना द्वारा धमकाया जा रहा है , जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलायें बाहर निकलने से डर रही हैं | होल्कर बाडा में रहने वाले लोग नित्यप्रति किसी न किसी षड्यन्त्र का शिकार बनाये जाते हैं तथा अप्शब्दों के साथ जबरन बेदखल करने की बात आये दिन की जाती है, जिससे महारानी के शान्तिप्रिय भक्त भयाक्रान्त हैं | सरकारी विग्यप्ति के अनुसार ट्रस्ट के भवन के विक्रय का अधिकार ट्रस्टी महोदय को नहीं है, ऐसा ही मामला अन्य स्थानों पर भी सन्यान में आया है |

आज ज़रूरत इस बात की है कि उक्त सभी संपत्तियों की मौजूदा स्थिति की सी.बी.आइ. जाँच भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कराइ जाये ताकि गंगा तट पर स्थित इस सम्पत्ति एवं अहिल्याबाई होल्कर द्वारा लोक-कल्याण हेतु कराये गये 12,672 निर्माणों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उन धरोहर की बिक्री तथा अवैध कब्जों को रोका जा सके | जिससे इसके अस्तित्व को बचाया जा सके तथा इन असामाजिक तत्वों से असहाय दुर्बल किरायेदारों के जान माल की रक्षा हो सके |

आशा है कि हम सभी की पीड़ा दूर करने में आप सभी का सहयोग मिलेगा |